रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072021-228277
CG-DL-E-13072021-228277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 2021/आषाढ़ 22, 1943
No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 2021/ASHADHA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

सूचना सं. 13 /2015–2020

विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के एएनएफ 2ज और एएनएफ 2झ के प्रारूप में संशोधन–विनियामक अनुपालन बोझ को कम करने के संबंध में।

फा.सं. 01/89/180/37/एएम–20/पीसी–2(ए)/ई–26575.––विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के एएनएफ 2ज (मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन और एएनएफ 2झ (चिकित्सा उपकरणों/यंत्रों को छोड़कर मदों हेतु मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण पत्र हेतु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन) के प्रारूपों को पूर्व के एएनएफ 2ज और एएनएफ 2ठ में घोषणा/वचनबद्धता के क्रम सं. 4 के अंतर्गत आरसीएनसी विवरण क्रम सं. 8 पर आरसीएमसी से संबंधित घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता को हटा कर संशोधित करते हैं।

2. प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के एएनएफ 2ज और एएनएफ 2झ के संशोधित प्रारूप क्रमशः अनुलग्नक–I और अनुलग्नक– II के रूप में संलग्न है।

3. **सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के एएनएफ 2ज और एएनएफ 2झ के संशोधित प्रारूपों को विनियामक अनुपालन बोझ को कम करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

अनुलग्नक–I

एएनएफ–2ज

मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

1. फर्म/कंपनी का नाम :

2. पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पता :

(i) दूरभाष सं.

(ii) फैक्स सं.

(iii) ई–मेल आईडी

3. आयातक निर्यातक कोड सं.

(i) कोड सं.

(ii) जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पता

4. आवेदन शुल्क विवरण

(i) राशि रुपये में

(ii) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक रसीद/इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण सं.

(iii) जारी/अंतरित करने की तिथि

(iv) आहरित बैंक का नाम और शाखा

5. निर्यात का संक्षिप्त विवरण

(i) विदेशी खरीदारी के पूर्ण पते; ई–मेल इत्यादि सहित विवरण

(ii) प्रमाण पत्र के तहत निर्यात की जाने वाली मदों का संक्षिप्त विवरण

6. क्या मदे औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत आती है। यदि हां तो इसका उल्लेख करें।

7. मदों का ब्यौरा जिनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण पत्र मांगा गया है (विधिवत रूप से स्वयं प्रमाणित अनुलग्नक क को संलग्न करें)

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद

कंपनी की मुहर

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुलग्नक क में सूचीबद्ध मदें

   i. आईटीसी (एचएस) की अनुसूची–2 के तहत निर्यात हेतु निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित नहीं है और निर्यात हेतु मुक्त है।

   ii. अनुलग्नक क में सूचीबद्ध सभी मदों का चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रयोजन हेतु अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक में उपयोग है।

iii. उपर्युक्त सूचीबद्ध सभी मदें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत शामिल नही है।

2. मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए विवरण और कथन सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया या रोका नहीं गया है।

3. मैं/हम पूरी तरह से समझते हैं कि आवेदन में भरी गई सूचना गलत या असत्य पाए जाने पर मैं/हम कानून द्वारा निर्धारित या अन्यथा अनुबद्ध किसी भी दंडात्मक कार्रवाई या अन्य परिणामों के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे।

4. मैं/हम समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियमों और आदेशों, समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक, परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र और आईटीसी (एचएस) के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/लेते है।

5. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते है किः

क. कंपनी जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन दंडित नही किया गया/दंडित किया गया है (जो लागू है उसे चुनें)

क. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

ख. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994

ग. यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) 1992 और

घ. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999

ड. विदेशी मुद्र संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974

च. जनसंहार के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम 2005

ख. कंम्पनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी/एचयूएफ/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/फर्म/संख्या जो डीजीएफटी की अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में है, का निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्त्ता/न्यासी नहीं है।

ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय(यो)/यूनिट (टों)/डिविजन (नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपा्त्र घोषित किया गया है।

घ. हमने किसी भी लाइसेंससिंग प्राधिकारी से अपने पंजीकृत /मुख्य कार्यालय के नाम से आयात निर्यातक कोड संख्या न ही प्राप्त की है और ना ही जारी करने हेतु आवेदन किया है।

6. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंनें/हमने किसी भी लाइसेंससिंग प्राधिकारी को अपने पंजीकृत/मुख्य कार्यालय या किसी भी हमारे शाखा (शाखाओं)/इकाई (इकाईयों)/विभाग (विभागों) के नाम से ऐसे लाभों (आयातक निर्यातक कोड संख्या जारी करने सहित) को न ही प्राप्त किया है ना ही उनके लिए आवेदन किया है।

7. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 हेतु परिशिष्ट 3 में यथा निहित स्कोमेट मदों की सूची ध्यान से देखी है और यह कि इस सचूी के भीतर निर्यातित/निर्यात करने हेतु प्रस्तावित मद (मदें) नही आते है और यह कि मै/हम विदेश व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक में शामिल स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु स्कीम जिसके तहत निर्यातित/निर्यात करने हेतु यथा प्रस्तावित मद है के बावजूद विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करुगां/करेंगे।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.6 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।

स्थान	आवदेक के हस्ताक्षर
दिनांक	नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

दूरभाष

घर का पता

ई–मेल

टिप्पणी:

1. अनुलग्नक–क के साथ यह प्रपत्र आयात निर्यात प्रपत्र के अन्य भागों के बिना प्रस्तुत किया जाए।
2. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रमाणपत्र को जारी करने हेतु आवेदन औषधि महानिदेशक (भारत), स्वास्थ सेवाएं महानिदेशालय, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफडीए भवन, कोटला रोड़, माता सुंदरी कॉलेज के पास, आईटीओ, नई दिल्ली–110002

अनुलग्नक–क

उत्पादों की सूची जमा करने हेतु प्रपत्र

(स्पष्ट रूप से टाइप किया जाए)

क्र. सं.	उत्पाद का नाम	आईटीसी (एचएस) कोड	विनिमार्ताओं / आयातकों के नाम और पते	क्या उत्पाद विनिर्माण और बिक्री हेतु ड्रग्स एवं कॉस्मेटिकक्स अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त है	उपयोग सहित उत्पाद का विवरण (सामग्री संलग्न करें, यदि आवष्यक हो)

अनुलग्नक–ख

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

मुक्त बिक्री एवं वाणिज्य प्रमाण पत्र

अनुलग्नक (कुल मदें) के अनुसार मैसर्स (फर्म का नाम व पूरा पता) द्वारा विनिर्मित मेडिकल यंत्र और उपकरण''भारत में मुक्त रूप से निर्यात योग्य के साथ–साथ बिक्री हेतु मुक्त रूप से अनुमति प्राप्त हैं''।

यह प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य है।

संलग्न: उपर्युक्त

स्थान:

दिनांक:

(हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी)

कृते अपर / संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र उपर्यक्त फर्म द्वारा घोषणा पर आधारित है कि अनुबंध में दिखाई गई निर्यात की वस्तुओं का उपयोग अस्पलात, नर्सिंग होम और क्लिनिक में मेडिकल सर्जिकल उद्देश्य के लिए किया जाता है और यह भी कि अनुबंध में दिखाई गई निर्यात वस्तुएं न तो प्रतिबंधित है और न ही निर्यात के लिए निषिद्ध है। उक्त फर्म की घोषणा अनुसार इसप्रमाण–पत्र में वर्णित मदें भी ड्रग्स एवं कॉस्मेटिकक्स अधिनियम, 1940 के तहत शामिल नहीं हैं।

अनुलग्नक–II

एएनएफ–2झ

मुक्त बिकी हेतु आवेदन पत्र एवं मेडिकल यंत्रों/उपकरणों के अतिरिक्त अन्य मदों हेतु वाणिज्य प्रमाण–पत्र

1. फर्म/कंपनी का नामः
2. पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पताः

i. दूरभाष :

ii. फैक्स :

iii. ईमेल आईडी

3. आयातक निर्यातक कोड :
   i. कोड सं.
   ii. जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम व पता
4. आवेदन शुल्क विवरण
   i. राशि रु में
   ii. डिमांड ड्राफ्ट/बैंक पावती/इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सं.
   iii. जारी/स्थानांतरित करने की तिथि
   iv. जिस बैंक पर आहरित किया गया उसका नाम एवं शाखा
5. नियार्तों का संक्षिप्त विवरणः
   i. विदेशी खरीदार का पूर्ण पता, ई–मेल आईडी आदि सहित विवरण।
   ii. प्रमाण–पत्र के अधीन निर्यात की जाने वाली मदों का संक्षिप्त विवरण।
6. मुक्त बिक्री एवं वाणिज्य हेतु मदों का विवरणः
   प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की मांग की गई है
   (स्वयं प्रमाणित अनुलग्नक क संलग्ल किया जाना है)

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

कंपनी की मुहर

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते है कि अनुलग्नक क में सूचीबद्ध मदें
   I. आईटीसी (एचएस) की अनुसूची–2 के तहत निर्यात हेतु निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित नही है और निर्यात हेतु मुक्त है।

II. मदों का निर्यात केन्द्र/राज्य सरकारों के किसी भी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा स्थापित कानूनों/अधिनियमों के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन नही करता है।

इसके अलावा हम इन मदों के निर्यात में संबंधित यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों के किसी भी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा स्थापित किसी अन्य कानून के तहत किसी भी प्रावधानों का पालन करने हेतु वचनबद्ध है।

2. मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करते है कि इस आवेदन में दिए गए विवरण और कथन सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया या रोका नहीं गया है।

3. मैं/हम पूरी तरह से समझते है कि आवेदन में भरी गई सूचना गलत या असत्य पाए जाने पर मैं/हम कानून द्वारा निर्धारित या अन्यथा अनुबद्ध किसी भी दंडात्मक कार्रवाई या अन्य परिणामों के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे।

4. मैं/हम समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियमों और आदेशों, समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक, परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र और आईटीसी (एचएस) के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/लेते है।

5. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते है किः

क. कंपनी जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन दंडित नही किया गया/दंडित किया गया है (जो लागू है उसे चुनें)

क. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

ख. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994

ग. यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) 1992 और

घ. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999

ड. विदेशी मुद्र संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974

च. जनसंहार के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम 2005

ख. कंम्पनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी/एचयूएफ/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/फर्म/संख्या जो डीजीएफटी की अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में है, का निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्त्ता/न्यासी नहीं है।

ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय(यो)/यूनिट (टों)/डिविजन (नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपा्त्र घोषित किया गया है।

घ. हमने किसी भी लाइसेंससिंग प्राधिकारी से अपने पंजीकृत /मुख्य कार्यालय के नाम से आयात निर्यातक कोड संख्या न ही प्राप्त की है और ना ही जारी करने हेतु आवेदन किया है।

6. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने किसी भी लाइसेंससिंग प्राधिकारी को अपने पंजीकृत/मुख्य कार्यालय या किसी भी हमारे शाखा (शाखाओं)/इकाई (इकाईयों)/विभाग (विभागों) के नाम से ऐसे लाभों (आयातक निर्यातक कोड संख्या जारी करने सहित) को न ही प्राप्त किया है ना ही उनके लिए आवेदन किया है।

7. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 हेतु परिशिष्ट 3 में यथा निहित स्कोमेट मदों की सूची ध्यान से देखी है और यह कि इस सच्ूी के भीतर निर्यातित/निर्यात करने हेतु प्रस्तावित मद (मदें) नही आते है और यह कि मै/हम विदेश व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक में शामिल स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु स्कीम जिसके तहत निर्यातित/निर्यात करने हेतु यथा प्रस्तावित मद है के बावजूद विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करुगां/करेंगे।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.6 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।

स्थान

दिनांक

आवदेक के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय का पता

दूरभाष

घर का पता

ई–मेल

टिप्पणीः अनुलग्नक–क के साथ यह प्रपत्र आयात निर्यात प्रपत्र के अन्य भागों के बिना प्रस्तुत किया जाए।

अनुलग्नक–क

उत्पादों की सूची को प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

(स्पश्ट रूप से टाइप किया जाए)

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	आईटीसी (एचएस) कोड	विर्निमाताओं निर्यातकों का नाम और पता	क्या विनिर्माण और बिक्री हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों के किसी मंत्रालयों/ विभागों कार्यालयों द्वारा स्थापित कानूनों/अधिनियमों के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पाद है, यदि है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें।	उपयोग सहित उत्पाद का विवरण (साहित्य संलग्न करें, यदि आवश्यक हो)

अनुलग्नक– ख

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

मुक्त बिक्री एवं वाणिज्य प्रमाणपत्र

मैंसर्स (कंपनी का नाम एवं पूरा पता) द्वारा विनिर्मित अनुलग्नक (कुल मदों) के अनुसार मदें भारत में मुक्त रुप से बेचे जाते है और मुक्त रुप से निर्यात योग्य है।

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

संलग्नकः उपर्युक्तनुसार

स्थानः

दिनांक :

(हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी)

कृते अपर/संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार

टिप्पणी: यह प्रमाणपत्र उपर्युक्त कंपनी द्वारा दिए गए घोषणा पत्र पर आधारित है जिसमें अनुलग्नक में दर्शाए निर्यात की मदें निर्यात हेतु न तो प्रतिबंधित हैं और ना ही निषिद्ध हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, 12th July, 2021

No. 13th /2015-2020

Subject: Amendment in format of ANF-2H and ANF-2I of HBP, 2015-2020 – reducing regulatory compliance burden-reg.

F. No.01/89/180/37/AM-20/PC-2[A]/E-26575.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby revises the formats of ANF-2H (Application for Free Sale & Commerce Certificate) and ANF-2I (Application for Free Sale & Commerce Certificate for items other than Medical Devices/Instruments) of Handbook of Procedures, 2015-2020 by deleting the requirement of furnishing RCMC details under s.no 4 and RCMC related declaration at s.no 8 of Declaration/Undertaking in earlier ANF-2H and ANF 2L.

2. The revised formats of ANF-2H and ANF-2I of HBP, 2015-2020 are annexed herewith as Annexure-I and Annexure-II respectively.

3**.** **Effect of this Public Notice:** The revised formats of ANF-2H and ANF-2I of HBP, 2015-2020 are notified as a step towards reducing regulatory compliance burden.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade

& Ex-officio Additional Secy.

Annexure-I

ANF- 2H

APPLICATION FOR FREE SALE & COMMERCE CERTIFICATE

1. Name of the firm / Company :
2. Address of Registered Office /Branch
   i. Tel No :
   ii. Fax No :

iii. e.mail ID

3. Importer Exporter Code No
   i. Code No.
   ii. Name & Address of issuing authority
4. Application Fee Details
   i. Amount in Rs.
   ii. Demand Draft /Bank Receipt/Electronic Fund Transfer No.
   iii. Date of Issue/Transfer
   iv. Name& Branch of Bank on which drawn
5. Brief Description of exports
   i. Details of foreign buyer with complete address, e.mail ID etc.
   ii. Brief description of items to be exported under the certificate
6. Whether the items of export fall under the Drugs : & Cosmetics Act. 1940. If so, indicate the same.
7. Details of items for which Free Sale & Commerce Certificate is sought to be obtained (Annexure A to be attached duly self-certified)

(Signature)

Name & Designation of the Authorized Signatory

Seal of the Company

DECLARATION / UNDERTAKING

1. I/We hereby declare that items listed in Annexure A,
   i. are not prohibited or restricted for export under Schedule 2 of ITC (HS) and are free for export;
   ii. all the items listed in Annexure A have usage in hospitals, nursing homes and clinics, for medical and surgical purposes;
   iii. all the items listed above are not covered under Drugs & Cosmetics Act, 1940.

2. I/We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my / our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from.

3. I/We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me / us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

4. I/We undertake to abide by the provisions of the FT (D & R) Act, 1992, as amended, the Rules and Orders framed there under, FTP, HBP, Appendices and Aayat Niryat Forms and ITC (HS).

5. I/We hereby certify that:

   A. the entity for whom the application has been made have not been penalized under any of the following Acts (as amended from time to time):
      a. The Customs Act, 1962,
      b. The Central Excise Act 1944,

c. Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, as amended, and

d. The Foreign Exchange Management Act,1999;

e. The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974

f. Weapons of Mass Destruction & their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005

B. none of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF/Trust, (as the case may be), is/are a Director(s) / Partner(s) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / entity which is on the Denied Entity List (DEL) of DGFT*;*

C. neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office(s)/ Unit(s)/ Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy;

D. we have not obtained nor applied for issuance of an Importer Exporter Code Number in the name of our Registered / Head Office to any other Licensing Authority.

6. I / We hereby declare that I / We have not obtained nor applied for such benefits (including issuance of an Importer Exporter Code Number) in the name of our Registered / Head Office or any of our Branch(s) / Unit(s) / Division(s) to any other Regional Authority.

7. I / We hereby declare that I/we have perused the list of SCOMET items as contained in the Appendix 3 to the Schedule 2 of the ITC (HS) and that the item(s) exported / proposed to be exported does not fall within this list and that I / We agree to abide by the provisions of FTP for export of SCOMET items contained in the FTP, Schedule 2 of ITC (HS) and the HBP, irrespective of the scheme under which the item is exported/proposed to be exported.

I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.6 of the Policy.

Place Signature of the Applicant

Date Name

Designation Official
Address Telephone

Residential Address Email
Address

Note:

1. This form with Annexure -A may be submitted without other parts of the Aayat Niryat Form.

2 .For items falling under the Drug & Cosmetics Act, 1940, application for issue of Free Sale & Commerce Certificate may be made to the Drug Controller General (I), Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, FDA Bhawan, Kotla Rod, Near Mata Sundari Collage, ITO, New Delhi 110002.

Annexure - A

Proforma for Submission of list of Products

(May be clearly typed)

S.No.	Name of Product	ITC(HS) Code	Manufacturers/ Exporters name and address	Is the product licensed under the Drugs and Cosmetics Act for manufacture and sale.	Description of the product including use (attach literature, if required.)

Annexure – B

Government of India

Ministry of Commerce & Industry

Department of Commerce

Directorate General of Foreign Trade

FREE SALE AND COMMERCE CERTIFICATE

The Medical Devices/Instruments as per Annexure (Total items) manufactured by M/s. (Name of the firm & full address) are "freely permitted for sale in India as well as freely exportable".

This certificate is valid for a period of two years from the date of issue.

Encl: As above.

Place:

Date: ***(Signing Authority)***

For Additional / Joint Director General of Foreign Trade

Note: This certificate is based on declaration by the above firm that items of export shown in Annexure have usage in Hospital, Nursing Homes and Clinics for Medical Surgical Purpose and also that items of export shown in Annexure are neither banned nor prohibited for export. The items appearing in this certificate are also not covered under Drug & Cosmetics Act, 1940 as per declaration of the aforesaid firm.

Annexure-II

ANF-2 I

APPLICATION FOR FREE SALE & COMMERCE CERTIFICATE FOR ITEMS OTHER THAN MEDICAL DEVICES/INSTRUMENTS

1. Name of the firm / Company :
2. Address of Registered Office / Branch :

i. Tel No :

ii. Fax No :

iii. e.mail ID

3. Importer Exporter Code No :
   i. Code No.
   ii. Name & Address of issuing authority
4. Application Fee Details
   i. Amount in Rs.
   ii. Demand Draft /Bank Receipt/Electronic Fund Transfer No.
   iii. Date of Issue/Transfer
   iv. Name& Branch of Bank on which drawn
5. Brief Description of exports :
   i. Details of foreign buyer with complete address, e.mail ID etc.
   ii. Brief description of items to be exported under the certificate
6. Details of items for which Free Sale & Commerce : Certificate is sought to be obtained

(Annexure A to be attached duly self-certified)

(Signature)

Name & Designation of the Authorized Signatory

Seal of the Company

DECLARATION / UNDERTAKING

1. I hereby declare that items listed in Annexure A,
   i. are not prohibited or restricted for export under Schedule 2 of ITC (HS) and are free for export;
   ii. the export of the items does not violate any of the provisions of the laws/Acts established by any of the Ministries/Departments/Offices of the Central/State Governments; and

We further undertake to abide by any of the provisions under FTP, FT(D&R) Act, 1992, as amended, or any other law established by any of the Ministries/Departments/Offices of the Central/State Governments relating to export of these items.

2. I/We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my / our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from.
3. I/We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me / us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
4. I/We undertake to abide by the provisions of the FT (D & R) Act, 1992, as amended, the Rules and Orders framed there under, FTP, HBP, Appendices and Aayat Niryat Forms and ITC (HS).
5. I/We hereby certify that

A. the entity for whom the application has been made have not been penalized under any of the following Acts (as amended from time to time):

a. The Customs Act, 1962,

b. The Central Excise Act 1944,

c. Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, as amended, and

d. The Foreign Exchange Management Act,1999;

e. The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974

f. Weapons of Mass Destruction & their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005

B. none of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF/Trust, (as the case may be), is/are a Director(s) / Partner(s) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / entity which is on the Denied Entity List (DEL) of DGFT;

C. neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office(s)/ Unit(s)/ Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy;

D. we have not obtained nor applied for issuance of an Importer Exporter Code Number in the name of our Registered / Head Office to any other Licensing Authority.

6. I / We hereby declare that I / We have not obtained nor applied for such benefits (including issuance of an Importer Exporter Code Number) in the name of our Registered / Head Office or any of our Branch(s) / Unit(s) / Division(s) to any other Regional Authority.

7. I / We hereby declare that I/we have perused the list of SCOMET items as contained in the Appendix 3 to the Schedule 2 of the ITC (HS) and that the item(s) exported / proposed to be exported does not fall within this list and that I / We agree to abide by the provisions of FTP for export of SCOMET items contained in the FTP, Schedule 2 of ITC (HS) and the HBP, irrespective of the scheme under which the item is exported/ proposed to be exported.

I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.6 of the Policy.

Place — Signature of the Applicant

Date — Name

Designation
Official Address
Telephone

Residential Address
Email Address

Note: This form with Annexure-A may be submitted without other parts of the Aayat Niryat Form.

Annexure – A

Proforma for Submission of list of Products

(May be clearly typed)

S.No.	Name of Product	ITC(HS) Code	Manufacturers/ Exporters name and address	Is the product licensed under the provisions of the laws/Acts established by any of the Ministries/Departments /Offices of the Central/State Governments for manufacture and sale, and if so please specify	Description of the product including use(attach literature, if equired

Annexure – B

Government of India

Ministry of Commerce & Industry

Department of Commerce

Directorate General of Foreign Trade

FREE SALE AND COMMERCE CERTIFICATE

The items as per Annexure (Total items) manufactured by M/s. (Name of the firm & full address) are freely sold in India and are freely exportable.

This certificate is valid for a period of two year from the date of issue.

Encl: As above.

Place:

Date:

(Signing Authority)

For Additional / Joint Director General of Foreign Trade

Note: This certificate is based on declaration by the above firm that items of export shown in Annexure are neither restricted nor prohibited for export.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.13 22:05:17 +05'30'